राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांकः–एफ 33(1) खा.वि/प्रोक्यो/आरएमएस/2025–26 जयपुर हस्ताक्षरित दिनांक

दिशा–निर्देश

रबी विपणन सीजन (आरएमएस) 2025–26 में समर्थन मूल्य पर गेहूँ क्रय हेतु निम्नानुसार दिशा निर्देश जारी किये जाते हैं :–

1. भारत सरकार द्वारा आरएमएस 2025–26 हेतु गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2425 रूपए प्रति क्विंटल घोषित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा किसानों के लिए **राजस्थान कृषक समर्थन योजना** अन्तर्गत न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर 125 रूपए प्रति क्विंटल बोनस घोषित किया गया है। इस प्रकार खाद्य विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण करवा कर क्रय एजेंसीज के माध्यम से गेहूँ विक्रय करने वाले पंजीकृत किसानो को उनके जनाधार से जुड़े बैंक खाते में कुल 2550/–रूपए प्रति क्विंटल की दर से उनकी उपज का मूल्य प्राप्त होगा।
2. राज्य में आरएमएस 2025–26 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूँ खरीद का कार्य दिनांक 10 मार्च, 2025 से 30 जून, 2025 तक किया जावेगा।
3. राज्य के किसान गेहूँ विक्रय हेतु दिनांक 01.01.2025 से 25.06.2025 तक प्रतिदिन 24 घण्टे (किसी भी समय) पंजीयन करवा सकेंगे। किसान द्वारा स्वयं अथवा अन्य माध्यम से पोर्टल पर पंजीकरण करवाया जा सकेगा। किसान पंजीकरण प्रक्रिया की जानकारी खाद्य विभाग की वेबसाइट (https://food.rajasthan.gov.in) पर उपलब्ध है।
4. आरएमएस 2025–26 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूँ खरीद हेतु स्थापित किये गए क्रय केन्द्रों की जानकारी विभागीय वेबसाइट (https://food.rajasthan.gov.in) पर उपलब्ध है। उक्त सूची में किये जाने वाले संशोधन की नवीनतम जानकारी भी पृथक से विभागीय वेबसाइट पर अद्यतन की जावेगी।

दिशा–निर्देश जिला कलक्टर के लिए :–

1. गेहूँ खरीद की व्यवस्था सुचारु रूप से चलाने के लिए तथा किसानों की पहचान एवं भूमि अभिलेखों के सत्यापन हेतु दिशा निर्देश जारी करें।
2. किसानों को समयबद्ध गिरदावरी/जमाबंदी/गिरदावरी प्रमाण पत्र/अन्य प्रमाण पत्र हेतु व्यवस्था तुरन्त कायम कर प्रचार–प्रसार किया जाये।
3. ऐसी मंडियाँ जहाँ एक से अधिक क्रय एजेंसीज द्वारा क्रय केन्द्र संचालित किये जाने होंगे, वहाँ मंडी सचिव के माध्यम से सम्बंधित एजेंसीज को पृथक–पृथक से मंडी परिसर के अन्दर क्रय केन्द्र संचालन हेतु आवश्यक पर्याप्त स्थान व आधारभूत व्यवस्थाएँ उपलब्ध कराने हेतु सम्बंधित मंडी सचिव को निर्देशित किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
4. गेहूँ खरीद हेतु यदि जिला कलक्टर अपने क्षेत्र में अन्य नये क्रय केन्द्र खुलवाना चाहते हैं तो नये क्रय केन्द्र के प्रस्ताव औचित्य सहित संबंधित एजेंसी से विचार विमर्श कर भिजवायें। क्रय केन्द्रों की सूची में कोई परिवर्तन किया जायेगा तो उसकी सूचना पृथक से विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी जावेगी। जिला कलक्टर क्रय केन्द्रों का रिव्यू करें, यदि किन्ही क्रय केन्द्रों को मर्ज किया जाना है या बन्द किया जाना है, तो विभाग को इस सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

Signature valid

Digitally signed by Subir Kumar
Designation : Principal Secretary To Government
Date: 2024.12.31 10:28:44 IST
Reason: Approved

5. सभी क्रय केन्द्रों पर कानून एवं यातायात व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा पर्याप्त जाप्ता उपलब्ध करवाया जायेगा। संबंधित जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक आपसी समन्वय के द्वारा पहले से स्थिति का आंकलन कर व्यवस्थाऐं सुनिश्चित करें। उठाव के Peak समय में होमगार्ड के साथ–साथ यातायात पुलिस के कांस्टेबल भी लगाये जावे।
6. क्रय संबंधी शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित जिला कलक्टर त्वरित कार्यवाही करेंगे।
7. जिला कलक्टर क्रय एजेंसीज (FCI, राजफेड, तिलम संघ, नाफेड एवं एनसीसीएफ आदि) के क्षेत्रीय प्रबंधकों एवं स्थानीय प्रशासन (एसडीएम/तहसीलदार आदि) के सदस्यों की टीमों का गठन कर क्रय केन्द्रों के संयुक्त निरीक्षण करने हेतु निर्देश जारी करेंगे।
8. गेहूँ खरीद हेतु सम्पूर्ण पर्यवेक्षणीय दायित्व संबंधित जिला कलक्टर का होगा व प्रतिदिन इसकी नियमित रूप से मॉनिटरिंग करेंगे। इस हेतु 01 मार्च 2025 से पहले सभी संबंधित क्रय एजेंसीज के साथ बैठक आयोजित कर खरीद व्यवस्था की समीक्षा करेंगे।
9. पर्याप्त प्रचार–प्रसार करें कि मण्डी अथवा क्रय केन्द्र पर वाहन में एक ड्राइवर व उसके साथ एक किसान ही आये। आवश्यकतानुसार मण्डियों व क्रय केन्दों की श्रेणी व कार्यशैली के आधार पर आढतियों की निश्चित संख्या में उपस्थिति के लिए समय तय करें ।
10. कृषि विपणन विभाग द्वारा राज्य स्तर पर एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जायेगी। उठाव के समय कांटा खराब होने की स्थिति में उठाव प्रभावित होता है। अतः इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करें। मण्डी सचिव को निर्देश दिए जावें कि खरीद व उठाव के समय निर्धारित लाइनों के माध्यम से व्यवस्था सुनिश्चित रहे व छाया पानी की समुचित व्यवस्था की जावे। मण्डियों में जल निकासी की समस्या हो तो उसे दुरूस्त किया जाए व आवश्यकता अनुसार लघु निर्माण के कार्य किए जाएं।

दिशा–निर्देश क्रय एजेंसीज के लिए :–

1. गेहूँ उपार्जन हेतु आवश्यक समस्त व्यवस्थाएं (क्रय केंद्र, बारदाना, भण्डारण आदि) किया जाना सुनिश्चित करें।
2. क्रय केन्द्रों पर तुलवाई, उठाव आदि के समय असामयिक वर्षा को देखते हुये आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जावें।
3. विभाग द्वारा किसान पंजीकरण एवं खरीद सम्बन्धी समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु हेल्पलाइन नंबर 1800–180–6030 स्थापित किया गया है।
4. उक्त क्रम में एजेंसीज भी उनके पास उपलब्ध हेल्पलाइन नंबर का उपयोग कर एवं उसका अधिकाधिक प्रचार करेंगी।
5. भारतीय खाद्य निगम द्वारा क्रय किये गये गेहूँ का भण्डारण किया जावेगा। इस हेतु निगम द्वारा राज्य स्तर पर एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जावे। साथ ही गेहूँ के उठाव / भराव के दौरान गोदाम निर्धारित समय पर खोले जायें।
6. उपार्जन की व्यवस्था के संबंध में राज्य व जिला स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाना सुनिश्चित करें।

Signature valid

Digitally signed by Subir Kumar
Designation : Principal Secretary To Government
Date: 2024.12.31 10:28:44 IST
Reason: Approved

दिशा–निर्देश जिला कलक्टर / क्रय एजेंसीज के लिए :–

1. जिला कलक्टर व क्रय एजेंसीज यह सुनिश्चित करेंगे कि गेहूँ उपार्जन प्रक्रिया और गेहूँ का समर्थन मूल्य एवं भारत सरकार द्वारा जारी गुणवत्ता मापदण्डों का पूर्ण प्रचार–प्रसार ग्राम स्तर तक हो। इस हेतु जिले के जन सम्पर्क अधिकारी के माध्यम से नियमित प्रेस विज्ञप्ति जारी करवायी जावे। जिला परिषद, पंचायत समिति एवं राजस्व मीटिंगों में भी प्रचार–प्रसार करावें। इस हेतु सभी स्तरों पर जनप्रतिनिधियों के सम्पर्क में रहकर समन्वय स्थापित कर कार्य किया जाये।
2. किसानों को नियमानुसार समयबद्ध एवं नियमित सही भुगतान हेतु भुगतान प्रक्रिया को सुचारू रूप से सुनिश्चित करेंगे।
3. जिला कलेक्टर सभी क्रय एजेंसीज से समन्वय कर जिन स्थानों पर अधिक गेहूँ खरीद की संभावना है, वहां प्रत्येक क्रय केन्द्र एवं उनसे संलग्न गोदामों की मैपिंग सुनिश्चित कर Movement Plan तैयार करें, ताकि परिवहन में किसी प्रकार की समस्या ना हो। साथ ही मैपिंग के दौरान यह भी सूचित करेंगे कि कितने गोदाम कवर्ड हैं तथा कितने CAP (Covered and Plinth) गोदाम हैं।
4. आरएमएस 2025–26 के लिए गेहूँ उपार्जन हेतु राज्य स्तरीय समिति द्वारा परिवहन की दरें विभागीय पत्रांक एफ 33(7) खा.वि./प्रोक्यो./SLC/2025 दिनांक 19.11.2024 एवं मण्डी लेबर चार्जेज की दरें विभागीय पत्रांक एफ 33(4) खा.वि./प्रोक्यो./SLC/2023 दिनांक 08.02.2024 द्वारा निर्धारित कर दी गई है। उक्त संदर्भित विभागीय पत्रांकों अनुसार जिला कलक्टर व क्रय एजेंसीज निविदाएं आमंत्रित कर आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
5. क्रय केन्द्रों पर पारदर्शिता बनाये रखने हेतु जिला कलक्टर क्रय एजेंसी से समन्वय स्थापित कर क्रय–केन्द्रों पर वेब कैमरा/वीडियोग्राफी करवाना सुनिश्चित करें।
6. क्रय केन्द्रों पर गेहूँ की FAQ (Fair Average Quality) निर्धारण हेतु विवाद की स्थिति में संबंधित कृषि उपज मण्डी सचिव को नियुक्त किया जावें तथा जहां मण्डी सचिव का पद रिक्त है या एक मण्डी क्षेत्र में एक से अधिक क्रय केन्द्र है, वहां जिलें में पदस्थापित कृषि पर्यवेक्षकों को लगाया जावें। सभी क्रय एजेंसीज गुणवत्ता जांचने हेतु क्रय केन्द्रों पर ड्रायर, क्लीनर और मोइश्चर मीटर की व्यवस्था करें एवं जिला कलक्टर खरीद से पूर्व उनका सत्यापन सुनिश्चित करे।
7. क्रय एजेंसीज द्वारा गेहूँ उपार्जन के क्रय केन्द्रों की क्रय क्षमता को ध्यान में रखते हुए किसानो को ऑनलाइन टोकन जारी किये जायेंगे।
8. कृषक मंडी जाते समय अपने माल का सत्यापन एवं वापिस जाते समय बिक्री की रसीदें/बिल का सत्यापन करवाना सुनिश्चित करें।
9. यदि किन्हीं कारणवश क्रय केन्द्रों पर व्यवस्था न हो पाये तो जिला कलक्टर इन क्रय केन्द्रों पर क्रय किये जाने की अन्य दिनांक निर्धारित कर प्रचार प्रसार की व्यवस्था करावे व उक्त दिनांक के लिये ही किसानों को टोकन जारी किये जायें।

दिशा–निर्देश जिला रसद अधिकारी के लिए :–

1. जिला रसद अधिकारी स्वयं सम्पूर्ण जिले के प्रभारी होंगे एवं जिले में पदस्थापित प्रवर्तन अधिकारी / निरीक्षकों को क्षेत्राधिकार अनुसार स्थापित क्रय केन्द्रों का प्रभारी नियुक्त करेंगे।
2. जिला स्तर पर समर्थन मूल्य पर गेहूँ खरीद का प्रभावी कार्यान्वयन एवं निगरानी सुनिश्चित करेंगे।

Signature valid

Digitally signed by Subir Kumar
Designation : Principal Secretary To Government
Date: 2024.12.31 10:28:44 IST
Reason: Approved

3. क्रय केन्द्रों पर खरीद हेतु आवश्यक समस्त व्यवस्थाओं (क्लीनर, ड्रायर, moisture meter आदि) की उपलब्धता सुनिश्चित करना सम्बंधित मंडी सचिव / क्रय एजेंसी का कार्य है। अतः उक्तानुसार व्यवस्थायें सुनिश्चित करें एवं उपलब्ध न होने की स्थिति में जिला कलेक्टर के माध्यम से आवश्यक निर्देश जारी कराते हुए उसकी सूचना खाद्य विभाग (मु.) को भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।
4. किसानों को जागरूक करने हेतु गेहूँ खरीद व पंजीयन प्रक्रिया एवं भारत सरकार द्वारा जारी गुणवत्ता मापदण्डों का पूर्ण प्रचार–प्रसार सम्बंधित क्रय एजेंसीज के माध्यम से कराया जाना सुनिश्चित करें।
5. क्रय केन्द्रों का नियमित निरीक्षण कर कार्यकारी एजेंसीज के साथ समन्वय कर अपेक्षित समस्त व्यवस्थायें करवाना सुनिश्चित करेंगे।
6. क्रय संबंधी शिकायत प्राप्त होने पर त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।
7. किसान पंजीकरण एवं खरीद सम्बन्धी समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु जिला स्तर पर Communication Plan बनाया जायें। इस हेतु प्रवर्तन अधिकारी / निरीक्षकों, सबंधित क्रय एजेंसीज के जिला स्तरीय प्रभारी एवं क्रय केन्द्र संचालकों का Whatsapp Group बनाया जायें।
8. क्रय केन्द्र पर किसी भी प्रकार की अव्यवस्था के क्रम में सम्बंधित क्रय केन्द्र संचालक को उचित निर्देश जारी करेंगे एवं आवश्यकतानुसार स्वयं अथवा जिला कलेक्टर के माध्यम से सम्बंधित कार्यालयों / एजेंसीज को निर्देशित करेंगे।

Sd/-
(सुबीर कुमार)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर।
3. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
4. उप सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि/वित्त/राजस्व विभाग, राज0, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान, जयपुर।
6. समस्त संभागीय आयुक्त/महानिरीक्षक पुलिस, राज0।
7. समस्त जिला कलेक्टर/पुलिस अधीक्षक, राज0।
8. प्रबंध निदेशक, राजफैड/तिलम संघ, राज0, जयपुर।
9. निदेशक, कृषि विपणन विभाग/बोर्ड, राज0, जयपुर।
10. निदेशक, राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम, राजस्थान, जयपुर।
11. वित्तीय सलाहकार, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान, जयपुर।
12. महाप्रबंधक (क्षेत्र), भारतीय खाद्य निगम, राज0, जयपुर।
13. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, खाद्य विभाग को भेजकर लेख है कि उक्त दिशा–निर्देश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करावें।
14. निदेशक, NIC, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर।
15. जनसंपर्क अधिकारी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान, जयपुर।
16. राज्य प्रमुख, नाफेड, जयपुर।
17. शाखा प्रबंधक, NCCF, जयपुर।
18. समस्त जिला रसद अधिकारी, राज0।
19. रक्षा पत्रावली।

Signature valid

Digitally signed by Subir Kumar
Designation : Principal Secretary To Government
Date: 2024.12.31 10:28:44 IST
Reason: Approved